

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  
(कल्याण अनुभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 18 सितम्बर, 2023

विषय: कृषि भवन में ताजे फलों/ जूस/ फ्रूट चाट की बिक्री - खाद्य विभाग की स्टाफ कैंटीन में स्टाल चलाने के संबंध में मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण।

मुझे उपरोक्त विषय पर निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। इच्छुक पार्टियाँ मुहरबंद लिफाफा में अधोहस्ताक्षरी के नाम से संलग्न प्रपत्र में निविदा प्रस्तुत करें।

2. संलग्न प्रोफार्मा में अपनी मूल्य-दर अंकित कर निविदा दिनांक 21.09.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक, गेट नंबर 6 पर उपलब्ध टैंडर बॉक्स में डाल दी जानी चाहिए या अवर सचिव (कल्याण) के कमरा सं. 44-B, भूतल, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजी जा सकती है। निर्धारित समय एवं दिनांक के आगे कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समय से प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 21.09.2023 को अपराह्न 4:30 बजे कमरा संख्या-44 B, कृषि भवन, नई दिल्ली में खोला जाएगा। निविदाता का/ के प्रतिनिधि, यदि वे चाहें, निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

3. निविदा निम्नलिखित शर्तों द्वारा शासित होगी:-

- i. कैंटीन द्वारा पर्याप्त जगह, बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- ii. बिजली, पानी एवं जगह के शुल्क के स्थान पर ऑफिसियल मीटिंग हेतु जूस एवं फ्रूट चाट का जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा उसमें से 10% का डिस्काउंट देना होगा।
- iii. सफल निविदाकर्ता पर फलों के उत्तम किस्म एवं उनकी मानक स्तर तक साफ सफाई रखने की जवाबदेही होगी।
- iv. काउंटर के नजदीक इकट्ठा होने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निपटारे की जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी।
- v. अनुबंध की अवधि पूरे दो साल की होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर पारस्परिक सहमति के आधार पर आगे भी आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- vi. फ्रूट/जूस स्टाल की बिक्री काउंटर का सहायक प्रबंधक (कैंटीन)/अनुभाग अधिकारी (कल्याण) द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा एवं निविदाकर्ता उनके सुझावों का पालन के लिए बाध्य होगें।

- vii. फल विक्रेता बचे जाने वाले फलों की सूची एवं उनके मूल्य बड़े अक्षरों में कांउटर पर लगाएंगे। फ्रूट स्टाल चलाने के लिए उचित संख्या में कर्मचारी रखेंगे और कृषि भवन में प्रवेश करने लिए प्रविष्टि कार्ड बनवाने के लिए उनका विवरण कल्याण अनुभाग में जमा करवाएंगे।
- viii. बिक्री केवल नगद भुगतान या डिजिटल होगी।
- (ix) फ्रूट स्टाल चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से फ्रूट सार्टिफिकेट प्राप्त करना सफल निविदकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
- (x) सरकारी तथा नगर निगम के कानून/ नियमों के अनुसार फ्रूट स्टाल चलाना सफल निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
- (xi) फल विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले फलों की गुणवत्ता में गिरावट लाने अथवा अनुबंध की अन्य किसी शर्त की अवहेलना होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार रुपये 1000/- प्रति अवसर जुर्माना। तृतीय अवसर पर विभागीय कैटीन के पास अनुबंध निरस्त करने तथा उनकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा जो कि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
- (xii) सफल निविदाकर्ता को रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि सचिव, (DFPD) के नाम देय हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदाकर्ता को यह रकम, यदि कोई बिजली व पानी का शुल्क अथवा किसी भी सरकारी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई करने के बाद अनुबंध समाप्त होने पर वापिस की जाएगी।
- (xiii) संलग्न प्रोफार्मा में अपनी मूल्य दर अंकित कर अवर सचिव (कल्याण), कमरा सं. 44-B, भूतल, कृषि भवन, नई दिल्ली में दिनांक 21.9.2023 समय 04.00 बजे तक जमा करा दें। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नितेश  
18.9.2023

(नितेश भसीन)

अवर सचिव भारत सरकार

टेलिफोन सं. 23393951

ई-मेल: nitesh.bhasin@nic.in

प्रतिलिपि :

NIC- विभाग के वैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

खाद्य विभाग केंटीन, कृषि भवन, नई दिल्ली में ताजे फलों/ जूस/ फ्रूट चाट की बिक्री के लिए निविदाकर्ताओं द्वारा मूल्यों की सूची।

फल विक्रेता का नाम.....  
पत्राचार का पता.....

दूरभाष.....

| क्रम सं. | मद               | उत्तम किस्म के फलों के भाव (प्रति किलो में) |                        |
|----------|------------------|---|------------------------|
|          | ताजे फल          |   |                        |
| 1        | सेब              |   |                        |
| 2        | अनानास           |   |                        |
| 3        | केला             |   |                        |
| 4        | चीकू             |   |                        |
| 5        | अमरुद            |   |                        |
| 6        | आम               |   |                        |
| 7        | नाशपाती          |   |                        |
| 8        | संतरा            |   |                        |
| 9        | पपीता            |   |                        |
| 10       | तरबूज            |   |                        |
| 11       | अंगूर            |   |                        |
| 12       | बब्बूबोशा        |   |                        |
| 13       | मौसम्बी          |   |                        |
| 14       | खरबूजा           |   |                        |
|          | ताजे जूस         | बड़ा ग्लास (250 मिली.)                      | छोटा ग्लास (200 मिली.) |
| 1        | मौसम्बी जूस      |   |                        |
| 2        | अनार जूस         |   |                        |
| 3        | सेब जूस          |   |                        |
| 4        | अनानास जूस       |   |                        |
| 5        | बनाना शेक        |   |                        |
| 6        | अमरुद जूस        |   |                        |
| 7        | संतरा जूस        |   |                        |
| 8        | मिक्सड जूस       |   |                        |
| 9        | मैंगो शेक        |   |                        |
| 10       | गाजर जूस         |   |                        |
|          | चाट              | फूल प्लेट (250 ग्राम)                       | हाफ प्लेट (200 ग्राम)  |
| 1        | मिक्सड फ्रूट चाट |   |                        |

मैं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग केंटीन कार्यालय के पत्र सं.....दिनांक.....में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक

फल विक्रेता के हस्ताक्षर  
रबर स्टैम्प

18. 9. 2023